



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



लाडो प्रोत्साहन योजना
(संशोधित गाईडलाईन-2)

1. योजना का परिचय:-

लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) की पालना में लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 12.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा (44) के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रु. की राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रु. किया गया है।

2. योजना के उद्देश्य:-

- 2.1 राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- 2.2 बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- 2.3 संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- 2.4 बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
- 2.5 बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- 2.6 बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

3. पात्रता -

- 3.1 प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो।
- 3.2 राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।

4. योजना का विवरण :-

- 4.1 बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का 'संकल्प पत्र' प्रदान किया जाएगा।
- 4.2 सम्पूर्ण भुगतान 7 किशतों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
- 4.3 बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किशतें बालिका के माता-पिता/अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में एवं सातवीं किशत बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।
- 4.4 राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किशतों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

5. योजना के अन्तर्गत देय राशि :-

5.1 योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध देय राशि -

किश्त	विवरण	देय राशि (रु.)
1	पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर	2500
2	बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा	2500
3	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000
4	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000
5	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11000
6	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर	25000
7	सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर	1,00,000
कुल		1,50,000

5.2 योजना की प्रथम दो किश्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।

5.3 लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किश्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।

6. प्रक्रिया:-

6.1 गर्भवती महिला की एएनसी जॉच के दौरान आधार एवं जन आधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जायेगा।

6.2 योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चिता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में देय होगा।

6.3 योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ऑनलाईन ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी./पीसीटीएस आई.डी. नम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

6.4 बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर एवं सम्पूर्ण टीकाकरण का पी.सी.टी.एस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन होने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में ऑनलाईन

ट्रांसफर की जायेगी। लाभार्थी को द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

- 6.5 योजना का लाभ राजस्थान में निवास कर रही प्रसूताओं के लिये देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है तथा जिसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो, को निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किश्त का लाभ देय होगा।
- 6.6 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर पर ऑटो अपडेशन मोड द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी.टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- 6.7 द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन करने पर देय होगा।
- 6.8 शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त का लाभ देने हेतु लाभार्थी के प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के द्वारा जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी./मैम्बर आई.डी./APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी./जन-आधार का उपयोग करते हुए बालिका का विवरण शाला दर्पण पोर्टल/प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा तथा संबंधित किश्त पात्रतानुसार देय होने पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 6.9 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम किश्त का लाभ देने हेतु, जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी., मैम्बर आई.डी., APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी. जन-आधार का उपयोग करते हुए ऑनलाइन ट्रैक कर लाभार्थी के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 6.10 प्रथम दो किश्तों के लिए बजट चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, तीसरी से छठी किश्त के लिए बजट शिक्षा विभाग को तथा सातवीं किश्त के लिए बजट उच्च शिक्षा विभाग को निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जायेगा। जिसके लिए निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान करवाया जायेगा।

7. पर्यवेक्षण:-

- 7.1 योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
- 7.2 योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- 7.3 योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
- 7.4 ई-गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DoIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पी.सी. टी.एस/ओजस पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।
